चित्रकूट-पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण,स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम,निम्न आय वर्ग बस्तियों,गांवों,वार्डों,मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों,कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता,साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी,महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण,गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई ।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका रंजना कमल पत्नी आनन्द कुमार निवासी कर्वी जनपद चित्रकूट ने अपने पति के विरूद्ध लड़ाई - झगड़ा,मारपीट करने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया था। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया था। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी उ0नि0 श्रीमती अनुपमा तिवारी,महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह, महिला आरक्षी सोनिका द्विवेदी,महिला आरक्षी अनामिका सिंह द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में पारिवारिक सामजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़ो को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र उ0नि0 श्रीमती अनुपमा तिवारी
2.महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह
3.महिला आरक्षी सोनिका द्विवेदी
4.महिला आरक्षी अनामिका सिंह

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री श्याम प्रताप पटेल के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री संत प्रसाद व उनकी टीम ने मु0अ0सं0 633/2025 धारा 109,118(1),115(2),352,351(3) भा0द0वि0 के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 07.10.2025 को वादी हनुमान सिंह पुत्र देवीदीन निवासी कंठीपुर निवासी रगौली थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी थी कि दिनांक 05.10.2025 को आवेदक का पुत्र साहिल पटेल उम्र 19 वर्ष कसहाई रोड़ विजय हॉस्पिटल के सामने घर का कुछ घरेलू सामान ले रहा था, कि समय लगभग 09.00 बजे रात्रि सिराज सिद्दकी पुत्र अज्ञात निवासी पुरानी बाजार,राजेश यादव उर्फ थोपू यादव पुत्र अज्ञात निवासी पुरानी बाजार,अजय यादव तथा रवि उर्फ रविन्द्र पुत्र अज्ञात लोग बिना नम्बर की गाड़ियों से नशे में आये। जिनके साथ में एक बुलेट गाड़ी थी और लोहे की रॉड,गाड़ी की चेन,स्पाकेट की रिंग,चाकू,कट्टा एवं अन्य धारधार हथियारों से साहिल के ऊपर जान से मारने की नियत से वार कर अधमरा कर डाला तथा मुहल्लावालों को गालिया देते हुए तमंचा लहराकर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 633/2025 धारा 109,118(1),115(2),352,351(3) भा0द0वि0 बनाम 1.सिराज सिद्दकी पुत्र अज्ञात 2.राजेश यादव उर्फ थोपू यादव पुत्र अज्ञात निवासीगण पुरानी बाजार थाना कोतवाली कर्वी 3.अजय पुत्र अज्ञात 4. रवि उर्फ रविन्द्र पुत्र अज्ञात निवासीगण अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

आज दिनांक 29.12.2025 को उ0नि0 संत प्रसाद व उनकी टीम द्वारा मुखविर की सूचना पर अभियुक्त सिराज सिद्दकी पुत्र अशफाक सिद्दकी निवासी पुरानी बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गत्ता वाली गली भरतपुरी से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री संत प्रसाद कोत0 कर्वी
2.आरक्षी राहुल पाण्डेय
3.आरक्षी विपिन कुमार

(4).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री श्याम प्रताप पटेल के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री जंगबहादुर व उनकी टीम द्वारा 01 चोर को चोरी की 01 जोड़ी चांदी की पायल के साथ गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
गुड्डू यादव पुत्र राधेश्याम निवासी कटरागूदर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट
बरामदगी-
01 जोड़ी चांदी की पायल
संक्षिप्त विवरण-
उल्लेखनीय है कि दिनाँक 26.12.2025 को वादिया नीलम यादव पत्नी नत्थू यादव निवासी कटरागूदर चौकी सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट ने सूचना दी कि जेवर 02 सोने की माला,02 सोने के झुमके,01नाक की नथिया,चांदी की बिछुआ,01 छागल चांदी का,चांदी की 02 पायल,01 चांदी की सातो संतान वाली चूड़ी 01 सेट चांदी का बिछिया अपने घर में ही जमीन खोदकर गाड़ दिया था कि दिनांक 30.11.2025 को सारे जेवरात चोरी कर लिये गये। वादिया को विश्वास है कि फूफा गुड्डू पुत्र राधेश्याम व बुआ गुड़िया यादव ने मिलकर चोरी किये है। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 772/25 धारा 305 बीएनएस बनाम वाइस्तवाह गुड्डू पुत्र राधेश्याम 2.गुड़िया पत्नी राधेश्याम उपरोक्त पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी को चोरी की घटना का शीघ्र अनावरण कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
आज दिनाँक 29.12.2025 को थाना चौकी सीतापुर पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर गुड्डू पुत्र राधेश्याम निवासी कटरागूदर चौकी सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को चौगलिया बाजार सीतापुर से गिरफ्तार किया गया। पूछंताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैंने अपनी भतीजी नीलम यादव के जेवर चोरी कर लिया था।उसी में से एक जोड़ी पायल बेचने जा रहा था कि आप लोगों ने पकड़ लिया । एक जोड़ी चांदी की पायल की बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।
गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-
1.उ0नि0 श्री जंगबहादुर चौकी सीतापुर
2.आरक्षी जयप्रकाश
3.आरक्षी अजय कुमार वर्मा